कार्यालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर

क्रमांक: 325 दिनांक 05/8/2024

आदेश

पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर के कार्यालय आदेश क्रमांक-ए-21()जैसल-फोर्स/2023-24/5597-5624, दिनांक 29.07.2024 द्वारा जैसलमेर जिले में नवसृजित पुलिस थाना पी.टी.एम., जैसलमेर का गठन कर पुलिस थाना पीटीएम दिनांक 01.08.2024 से प्रारम्भ किया गया है। नव-सृजित पुलिस थाना पीटीएम, जैसलमेर के क्षेत्राधिकार निर्धारण करने के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के परिपत्र क्रमांक- 05/पीआई/2017 दिनांक 18.03.2017 के अनुसरण में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक-324, दिनांक 05.08.2024 द्वारा प्रस्ताव श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर को प्रेषित कर श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर के आदेश क्रमांक- स्था./2024/1394, दिनांक 05.08.2024 द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन किये जाने के फलस्वरूप मुझ डॉ० लेखपाल शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 12 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नवसृजित **पुलिस थाना पीटीएम, जैसलमेर में दर्ज होने वाले समस्त प्रकरणों की सुनवाई, विचारण व निस्तारण का क्षेत्राधिकार अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर न्यायालय** को करता हूँ।

उपर्युक्त आदेश माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की स्वीकृति के अध्यधीन रहेगा। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर से स्वीकृति आदेश प्राप्त होने तक यह आदेश आज दिनांक 05.08.2024 से अस्थायी रूप से प्रभावी रहेगा।

05/08/24

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जैसलमेर

क्रमांक- 326 (mail) **दिनांक-** 05/8/2024

प्रतिलिपि निम्न को वास्ते सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही सादर प्रेषित है-

1- श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर

2- श्रीमान् विशिष्ट न्यायाधीश, परिवारिक न्यायालय, जैसलमेर

3- श्रीमान् विशिष्ट न्यायाधीश, पोक्सो न्यायालय, जैसलमेर

4- श्रीमान् अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर

5- श्रीमान् विशिष्ट न्यायाधीश, एससी/एसटी प्रकरण, जैसलमेर

6- श्रीमान् सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर

7- श्रीमान् जिला कलक्टर, जैसलमेर

8- श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर

9- अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पोकरण

10- न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर

11- अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर

12- किशोर न्याय बोर्ड, जैसलमेर

13- न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय सांकडा, मुख्यालय पोकरण

14- अध्यक्ष, अभिषाक परिषद्, जैसलमेर

15- सहायक निदेशक अभियोजन, जैसलमेर

16- उपाधीक्षक, जिला कारागृह, जैसलमेर

17- उपकारापाल, पोकरण

18-प्रभारी अधिकारी वायरलेस, जैसलमेर को प्रतिलिपि भेजकर लेख है कि इस आदेश को सभी आरक्षी केंद्रों को संसूचित करें।

19- सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा, जैसलमेर को प्रतिलपि भेजकर लेख है कि वह इस आदेश को जिला न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करें

20- कार्यालय प्रति।

05/08/24

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जैसलमेर